फारम सं0-563

आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

23 राजेश कुमार वर्मा पिता स्व0 अर्जुन राम, निवास स्थान ग्राम-ओकनी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हजारी, थाना नं0-141, खाता संख्या-36, प्लॉट संख्या-276, रकवा-0.0434 (4.34 डिसमिल) (चार दशमलव तीन चार डिसमिल) भूमि शिवानी कुमारी पति जितेन्द्र कुमार वर्मा पिता विजय चन्द्रवंशी, निवास स्थान न्यू कॉलोनी, कानी बाजार, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22014504 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-87/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 288/रा0 दिनांक 20.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 441 दिनांक 04.03.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती किस्म की भूमि है। खतियानी रैयत प्रयास मिस्त्री वगै0 हैं। केवाला के अनुसार कुल खरीदगी भूमि 4.75 डिसमिल है खतियान में कुल रकवा 5.40 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 4.34 डिसमिल भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-87/IX पर राजेश कुमार वर्मा के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2016-17 तक निर्गत् है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। पूर्ण भूमि आवेदक की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 06 डिसमिल भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता[illegible]
1	2	3

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। साथ ही वर्ष 2022-23 में निर्गत् लगान रसीद की प्रति भी प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में राजेश कुमार वर्मा पिता स्व0 अर्जुन राम, निवास स्थान ग्राम-ओकनी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हजारी, थाना नं0-141, खाता संख्या-36, प्लॉट संख्या-276, रकवा-0.0434 (4.34 डिसमिल) (चार दशमलव तीन चार डिसमिल) भूमि शिवानी कुमारी पति जितेन्द्र कुमार वर्मा पिता विजय चन्द्रवंशी, निवास स्थान न्यू कॉलोनी, कानी बाजार, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

16/3/23

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

16/3/23

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.03.17 13:27:00 +05:30
Location: 192.168.0.101